न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 173 / 2021
आरसीएमएस नं. :– 2021 / 173

1. नेक मोहम्मद पुत्र फतू जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. असलम पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर, दिनांक 14.09.2021,
प्र. सं. 23 / 18, अनवान रामेश्वरी बनाम नेक मोहम्मद

उपस्थितिः–
श्री देवदत्त भिड़ासरा, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय सिह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 12.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया किया कि उसकी भूमि चक 15 एनटीआर 'ए' प. नं. 362 / 416 मु. नं. 5 किला नं. 13, 14, 15 की 0.759 है0 भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने चक 15 एनटीआर 'ए' प. नं. 362 / 416 मुरब्बा नं. 5 किला नं. 11, 12 में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.05.2017 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसकी राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं0 25/2015 प्रस्तुत हुई जिसमें अपीलाण्ट सं0 2 असलम ने आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे इस न्यायालय स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.04.2019 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की एवं तहसील से रिपोर्ट लेकर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2021 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रश्गनत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील रामेश्वरी बनाम नेक मोहम्मद अपील सं0 61/2017 में अपीलाण्ट सं0 2 को आदेश दिनांक 20.06.2018 के द्वारा बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बना लिया व श्रीमान न्यायालय ने दोनां पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये थे। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट सं0 2 को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया है। तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये गये थे परन्तु तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण के समय कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जबकि विचारण न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य है। नियम 69 की कोई पालना नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते का कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेंट की सुविधा को देखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है जबकि रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अन्य विकल्प व चक के अन्य काश्तकारों को रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए रास्ता स्वीकृत करना चाहिए। रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि खरीद की है और उसे सर्वप्रथम विक्रेता की भूमि में से ही रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिये। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत तरीके से रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है एवं स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालाय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ता स्वीकृत किया है। जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वमें रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.05.2017 को खारिज किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेण्ट द्वारा करने पर अपीलाण्ट सं0 2 असलम पुत्र नेक मोहम्मद द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश था। जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 20.06.2018 को अपील में उसे बतौर रेस्पोडेण्ट संयोजित किया गया था। प्रकरण दिनांक 30.04.2019 को अपील का निर्णय करते समय यह निर्देश दिये गये थे कि उभयपक्षों को सुनकर एवं तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 2 असलम पुत्र नेक मोहम्मद को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं ना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुना गया है। जबकि प्रकरण को रिमाण्ड करते समय उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की विस्तृत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2020 संलग्न है परन्तु मौका रिपोर्ट तैयार करते समय नियम 69 के आज्ञात्मक प्रावधानों के बिना ही रिपोर्ट तैयार की गई है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है अपीलाट सं0 2 असलम पुत्र नेक मोहम्मद को प्रार्थना–पत्र में बतौर अप्रार्थी सं0 2 संयोजित कर नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2021 निरस्त किया किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट सं0 2 असलम पुत्र नेक मोहम्मद को प्रार्थना–पत्र में बतौर अप्रार्थी सं0 2 संयोजित कर नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़